सामाजिक विज्ञान
(लोकतांत्रिक राजनीति–2)

जाति धर्म और लैंगिक मसले

सामाजिक विभाजन– समाज को विभिन्न आधारों पर बांटना ही सामाजिक विभाजन है। जैसे पूंजीवाद के आधार पर, जाति के आधार पर, लैंगिक आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संस्कृति के आधार पर इत्यादि।

उपर्यूक्त सामाजिक विभाजन के आधार ही लोकतंत्र के बाधक तत्व भी है।

जातिवाद– जातिवाद का वास्तविक अर्थ तो है अपनी जाति को बढ़ावा देना, दूसरी जाति को निम्न दृष्टि से देखना अर्थात् कहना चाहिए जातिवाद ने ही छुआछूत जैसी सामाजिक असमानताओं को जन्म दिया है। यदि विभिन्न जातियों के लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो एक सफल लोकतंत्र की कल्पना करना नामुमकिन है।

जातिवाद को बढ़ावा देने वाले कारक–

1. प्रत्येक जाति स्वंय को बड़ा बनाना चाहती है।
2. एक जाति सत्ता पाने के लिए दूसरी जातियों अथवा समुदायों को भड़काकर अपने पक्ष में करती है।
3. राजनैतिक उम्मिदवारों का नाम तय करते समय भी जातिवाद को बड़ावा दिया जाता है।
4. चुनाव में प्रचार के समय भी जातिगत शब्दों का प्रचार प्रसार किया जाता है।

जातिवाद को दूर करने के उपाय–

1- प्रत्येक जाति को समानता के अधिकार का पूर्णतः पालन करना होगा।
2- सत्ता को जातिगत बनाने पर पूर्णतः अंकुश लगाना होगा।

3- राजनैतिक दलों को भी योग्यता के आधार पर नाम तय करने हेांगे ना कि जाति के आधार पर ।
4- चुनाव प्रचार में जातिगत शब्द पूर्णतः प्रतिबधित होने चाहिए।

धर्म निरर्पेक्षता

धर्म निरपेक्ष वह राज्य जिसमें नागरिको को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है और किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है। '' भारत एक ऐसा राज्य है जिसे धर्मनिपेक्ष राज्य कहा जाता है।''

साम्प्रदायिकता

स्वंय के धर्म को अन्य धर्मो से उंचा मानना, अपने धार्मिक हितेां के लिए राष्ट्रहित का बलिदान कर देना ही साम्प्रदायिकता है। धर्म के नाम पर साम्प्रदायिकता कुप्रथा एवं घृणा का संचार करती है। यह एक समाज के लिए अभिशाप की तरह है। '' जो मानव को मानव से मानवता के प्रति घृणा सिखाती है''। इसी कारण आज व्याप्त समाज में एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायी एक दूसरे की जान के प्यासे हो गये।

1- सामप्रदायिकता के कारण समुदाय टूट रहे है।
2- दंगे होने लगते है।
3- राष्ट्रीय एकता व अखण्डता खतरे में पढ़ जाती है।

उपरोक्त कारणों से साम्प्रदायिकता को लोकतंत्र या प्रजांतत्र के लिए खतरा माना जाता है।

सामप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले कारक–

1- अशिक्षा एवं अज्ञानता ।
2- निर्धनता ।
3- जातिवाद एवं छुआछूत।

4- बेरोजगारी।
5- संसाधनों की कमी।

श्रम में लैंगिक विभाजन

लैंगिक विभाजन का अर्थ है पुरूषों व महिलाओ के मध्य कार्य का विभाजन। कुछ कार्य विशेषकर घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना, सिलाई करना, कपड़े धोना, सफाई करना ये कार्य महिलाओं द्वारा किये जाते है। जबकि पुरूष कुछ विशेष प्रकार के कार्य करते है। पुरूष व महिलाओं के मध्य लैंगिक विभाजन का यह अर्थ है कि पुरूष घरेलू कार्य नहीं कर सकते वह केवल इतना सोचते है कि घरेलू कार्य करना महिलाओं का कार्य है जब इन कार्यो हेतु पारिश्रमिक दिया जाता है तो पुरूष भी इन कार्यो को करने के लिए तैयार हो जाते है जैसे– अधिकांश दर्जी या होटलों में रसोईये पुरूष ही होते है।

लैंगिक विभाजन का यह अर्थ भी नहीं होता कि महिलायें अपने घर से बाहर कार्य नहीं करती है। जैसे–

1. गांव में महिलाऐं पानी लाती है ।
2. गरीब महिलायें घरों में नौकरानी का कार्य करती है।
3. मध्यम वर्गीय महिलाएं रोजी रोटी कामाने के लिए नौकरी भी करती है।
4. अधिकाशं महिलांएं घरेलू कार्यो के अतिरिक्त मजदूरी भी करती है, परन्तु उनके कार्यो की उचित मजदूरी प्रदान नहीं की जाती है न ही उचित महत्व दिया जाता है।

<u>निश्कर्ष–</u> श्रम लैंगिक विभाजन समान रूप से आज की समाज की मांग है। प्रत्येक महिला का अधिकार है कि समाज में उसे उचित सम्मान व समान कार्य के साथ–साथ पुरूषों के जैसे कार्याधिकार सरकार द्वारा देकर महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया जाय, समान कार्य के साथ समान महत्व दिया जाय।

सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उठाये गये कदम–

महिलाएं समाज की वास्तुकार होती है समाज का वास्तुकार होने के चलते ही विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं में धरती व स्त्री को मातृदेवी के रूप में पूजा जाता था। बहुत सारी आदिम सभ्यताएं मातृ सत्तात्मक रहे है। कालान्तर में कई कारणों से स्त्री की सामाजिक स्थिति में गिरावट आयी है। महिलाऐ राजनैतिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ी हुई है।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम

विभिन्न सरकारों के द्वारा भी समय–2 पर कानून बनाकर महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। जैसे–

1. सरकार ने लड़कियों के विवाह की आयु कम से कम 18 वर्ष निश्चित कर दी है।
2. पारिवारिक विघटन होने पर सरकार ने बच्चों के भरण पोषण के लिए निश्चित धनराशि पाने का अधिकार दिया है।
3. नारियों को भी परिसम्पत्ति पाने का अधिकार है।
4. लड़कियों की शिक्षा के लिए भरपूर सरकारी प्रयत्न किये जा रहे है।
5. अनुच्छेद 14 के तहत स्त्री पुरूष समानता की व्यवस्था की गयी है।
6. वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है।

डॉ0 सुभाष चन्द्र जोशी
स0अ0 (सामान्य
रा0इ0कॉ0 दौबांस
पिथौरागढ़।

****